न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-238RAAJodhpur2023-119RTA223 Suganaram Vs Modaram etc

सुगनाराम पुत्र श्री लुम्बाराम, जाति जाट,
निवासी- नागलवास, तहसील भोपालगढ,
जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मोडाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
2. मंगलाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
3. कमलेश उर्फ कमाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
4. सूजी पत्नी श्री लुम्बाराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- नागलवास,
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
5. तीजा पुत्री श्री लुम्बाराम एवं पत्नी श्री मंगलाराम,
   जाति जाट, निवासी- पालड़ी,
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
6. बाया पुत्री श्री लुम्बाराम एवं पत्नी श्री छोटाराम
7. सीता पुत्री श्री लुम्बाराम एवं पत्नी श्री अनाराम
   दोनो जातियान् जाट, निवासीगण- धारणावास,
   तहसील खीवंसर, जिला जोधपुर।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 152/2021 सुगनाराम बनाम मोडाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 08

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 10 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 152/2021 सुगनाराम बनाम मोडाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 85 रकबा 2.4608 हैक्टेयर ग्राम नागलवास के संबंध में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2023 को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय यह कहने में गम्भीर त्रुटि कारित की है कि मोडाराम व मंगलाराम की जन्म तिथि के बारे में कोई तथ्य अंकित नहीं किये, जबकि उक्त तथ्य अखण्डित है, जिसका कोई खण्डन किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता। मोडाराम ने वर्तमान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कजनाऊकलां में अध्ययन किया।

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सूचना के अधिकार के तहत जन्म तिथि के बारे में जानकारी चाही, जिसको देने से इंकार कर दिया तथा दूसरे दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड भी निजी दस्तावेज की श्रेणी में आते है, जिनकी नकल भी नहीं दी जा सकती एवं संचार माध्यम से प्राप्त किये गये दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं हो सकते है, इसलिए प्रदर्शित नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थिति में जब प्रतिवादीगण जानबूझकर अनुपस्थित हुए एवं तथ्यो का खण्डन नहीं किया तो अखण्डित तथ्य विधि अनुसार हूबहू माने जाने योग्य थे, जिन्हें नहीं मानने में विचारण न्यायालय ने भारी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा निष्पक्ष गवाह गिरधारीराम के कथनों को नहीं मानने में भी भारी त्रूटि कारित की है। उक्त गवाह वक्त अदा करने प्रतिफल मौजूद था, जिसने बेचाननामे में अपनी साख डाली थी एवं कथन किया कि लुम्बाराम ने मेरी उपस्थिति में मौडसिंह को तीन हजार रूपये अदा किये थे, उस वक्त मोडाराम उपस्थित नहीं था एवं स्कूल गया हुआ था। इन कथनों को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं मानने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने वाद को साक्ष्य के अभाव में खारिज करने में भारी त्रुटि कारित की है। मोडाराम की जन्मतिथि दिनांक 25.06.1964 है तथा मंगलाराम की जन्म तिथि 01.01.1961 है। मोडाराम के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 11.07.1978 को व मंगलाराम के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 25.09.1972 को पंजीबद्ध हुआ। उक्त अखण्डित तथ्य है, जिसको नहीं मानने का अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई आधार नहीं था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई ने भोपालगढ में वकालत करना बंद कर दिया, जिन्होंने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता को भी इस बात की सूचना

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं दी कि मैं न्यायालय में जाने में असमर्थ हूँ एवं अधिवक्ताओं के स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार के कारण एवं बाद में कर्मचारियों की स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार के कारण आदेश का कोई पता नही चल सका। अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई ने जब फाईले देखी तो पता चला कि इस प्रकरण की तारीख पेशी लिखी हुई नहीं है, तब कॉजलिस्ट को ढूंढकर मालूमात किया तो पता चला कि उक्त प्रकरण निर्णित हो चुका है। तब निर्णय की नकल हेतु दिनांक 19.06.2023 को आवेदन किया एवं विधिक सलाह मशविरा कर प्रार्थी को अपील करने की सलाह दी, जिस पर प्रार्थी खर्चे की व्यवस्था करने हेतु अपने गांव गया व खर्चे की व्यवस्था कर अपील जानकारी से अंदर म्याद पेश की गई। अपीलांट ने जानबूझ कर या उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलंब नहीं किया है, उक्त विलंब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 152/2021 सुगनाराम बनाम मोडाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2023 को खारिज फरमाया एवं वादीनी का वाद स्वीकार फरमाते हुए डिक्री फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, माननीय राजस्व मण्डल, माननीय

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों में म्याद के बिंदु को गौण मानते हुए पक्षकारान् के न्याय प्राप्ति के लिए विलम्ब कण्डोन किया गया है। लिहाजा मामले का तकनीकी आधार पर निर्णय किये जाने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब बाबत नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक प्रतिवादीगण पर सम्यक तामील के बावजूद वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में अपना साक्ष्य शपथ-पत्र, वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी एवं पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिलांक 11.07.1978 एवं 20.10.1972 पेश किया गया है, जिसका खण्डन प्रतिवादीगण की ओर किया जाना नहीं पाया जाता है।

विचारण न्यायालय का मत है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के वक्त क्रय मोडाराम पुत्र लुम्बाराम एवं मंगलाराम पुत्र लुम्बाराम के नाबालिग होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये तथा न ही मोडाराम व मंगलाराम द्वारा खरीद की गयी वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित आय से खरीद करने अथवा संयुक्त परिवार की आय से खरीद करने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इस संबंध उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, किंतु अपील स्तर पर प्रस्तुत जनाधार की फोटोप्रतियॉ जो प्रथमदृष्टया फोटोप्रति होने से साक्ष्य हेतु ग्राह्य नहीं मानी जा सकती है, जिन पर प्रतिवादीगण की जन्म तिथि अंकित है।

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति से प्रतिवादीगण की जन्मतिथि की स्पष्ट जानकारी हो सकती है।

वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह गिरधारी राम जिसकी साख विक्रय विलेख दिनांक 11.07.1978 पर मौजूद है, उसके साक्ष्य शपथ-पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिनुसार समुचित विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 152/2021 सुगनाराम बनाम मोडाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2023 को खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर